



मुख्यालय Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सीआइजी मार्ग, दिल्ली 02
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या : ए-49/16/1/2018-राभा

दिनांक : 17/09/2018

प्रेस प्रकाशनी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय में दिनांक 14/09/18 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन उल्लासपूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राज कुमार, महानिदेशक ने की और उन्होंने कार्यालय के दैनंदिन काम-काज में सरल हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देते हुए सभी के प्रति हिंदी दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त कीं। श्री ए.के.सिन्हा, बीमा आयुक्त ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस अवसर पर श्री मनोज कुमार शर्मा, अपर आयुक्त(राजभाषा प्रभारी) ने माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के संदेश का वाचन किया तथा श्री श्याम सुंदर कथूरिया, उप निदेशक(राजभाषा) ने हिंदी प्रगति रिपोर्ट 2017-18 प्रस्तुत की।

महानिदेशक महोदय तथा मंचासीन अधिकारियों ने निगम मुख्यालय की हिंदी पत्रिका 'पंचदीप भारती' के 16^{वें} अंक का विमोचन किया। समारोह में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के साथ-साथ हिंदी डिक्टेशन योजना प्रतियोगिता तथा मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। पारंगत प्रशिक्षण के सफल प्रशिक्षार्थियों को भी प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

भारत में क.रा.बी.योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम व्यापक सामाजिक सुरक्षा हितलाभ जैसे उचित चिकित्सा देखभाल और रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु इत्यादि जैसी आवश्यकता के समय नकद हितलाभों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराने वाला एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है। क.रा.बी.अधिनियम उन भवनों/ परिसीमाओं पर लागू होती है जहाँ 10 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। प्रतिमाह 21,000/- रुपए का वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी क.रा.बी.अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवर और अन्य हितलाभों के हकदार हैं। यह अधिनियम सम्पूर्ण देश में 8.98 लाख फैक्ट्रियों और स्थापनाओं में लागू है और श्रमिकों की लगभग 3.43 करोड़ परिवार इकाइयां इससे लाभान्वित होती हैं। इस समय, क.रा.बी.योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 12.40 करोड़ से अधिक है। 1952 में अपने आरम्भ के बाद, क.रा.बी.निगम ने अब तक 154 अस्पतालों, 1489/174 औषधालयों/ भारतीय चिकित्सा इकाइयों, 815 शाखा/ भुगतान कार्यालयों और 63 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय/ प्रभागीय कार्यालयों की स्थापना की है।



मुख्यालय Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सीआइजी मार्ग, दिल्ली 02
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

No. A/49/16/1/2018-OL

Date: 17.09.2018

PRESS -RELEASE

ESIC observes Hindi Day at its Headquarters, New Delhi

Hindi Day was celebrated on 14.09.2018 in Headquarters, ESI Corporation with great zeal and enthusiasm. The program was presided over by Sh. Raj Kumar, IAS, Director General. He conveyed good wishes to all for Hindi Day and emphasized upon the maximum use of simple Hindi in day to day official activities. Sh. A.K.Sinha, Insurance Commissioner also addressed the gathering present there. He stressed on to ensure the implementation of Official Language policy. On this occasion Sh. Manoj Kumar Sharma, Additional Commissioner (In-charge Official Language) read the message of Hon'ble Union Home Minister released on the occasion of Hindi Day. Sh. Shyam Sunder Kathuria, Deputy Director (Official Language) presented Hindi Progress Report 2017-18.

The Director General, ESIC and other officers on dais released the 16th edition of Hindi house journal of ESIC 'Panchdeep Bharati'. In the function, prizes and cash awards were given to the winners of Hindi Fortnight Competitions as well as the winners of different competitions of Hindi Dictation Scheme and Original Hindi Noting -Drafting. Certificates were also given to the successful trainees of 'Parangat' training program.

ESI Scheme in India

The Employees' State Insurance Corporation is a pioneer Social Security organization providing comprehensive social security benefits like reasonable Medical Care and a range of Cash Benefits in times of need such as employment injury, sickness, death etc. The ESI Act applies to premises/precincts where 10 or more persons are employed. The employees drawing wages up to Rs.21,000/- a month are entitled to health insurance cover and other benefits, under the ESI Act. The Act now applies to over 8.98 lakh factories and establishments across the country, benefiting about 3.43 crores family units of workers. As of now, the total beneficiaries population under ESI Scheme stands over 12.40 Crores. Ever since its inception in 1952, the ESI Corporation has, so far, set up 154 Hospitals, 1489/174 Dispensaries/ISM Units, 815 Branch/Pay Offices and 63 Regional & Sub-Regional/Divisional Offices.
